राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(176)नविवि/3/84 जयपुर, दिनांकः -5 FEB 2015

## आदेश

**विषयः– गाडिया लुहार तथा राजस्थान राज्य की विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु भूखण्ड निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु।**

राज्य सरकार द्वारा गाडिया लुहार तथा राजस्थान राज्य की विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु निर्धारित शर्तों पर 50 वर्गगज निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत् विभागीय आदेश दिनांक 15.06.2012 एवं 12.12.2012 जारी किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार उक्त आदेशों की निरन्तरता में गाडिया लुहार तथा राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु भूमि आवंटन किये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित की गई शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किए जाने की शर्त पर 50 वर्गगज भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की अवधि दिनांक 31.12.2015 तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

4/2/15
(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन/सामा0 न्यास एवं अधिकारिता विभाग।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
8. जिला कलक्टर, (समस्त) राजस्थान।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं शासन उप सचिव–प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
12. शासन उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उनके पत्रांक एफ. 7(4)(43)विकास/सान्याअवि/13/24957 दिनांक 29.04.2014 के संदर्भ में।
13. मुख्य नगर नियोजक, नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान।
15. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय